L.C Appeal No- 04/2004

Chhutni Devi

-Vrs-

Ganga Harin & others

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
15.1.21	माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के न्यायालय के वाद संख्या–35/2005(छुटरी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 18.11.11/14.12.11 को पारित आदेश में राजस्व कागजात की जांच कर तथ्यों के आधार पर आदेश पारित करने हेतु वाद को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया है। वाद का सार यह है कि विपक्षी संख्या–2(किरण देवी) ने विपक्षी–1(गंगा हाड़ीन) से बाघमारा अंचल अंतर्गत मौजा –बरवाडीह मौजा नं0–202 खाता सं0–13 प्लॉट सं0–446 रकवा–01डी0, प्लॉट सं0–447 रकवा–10डी0 एवं प्लॉट सं0–453 रकवा–13डी0 कुल रकवा–24डी0 भूमि निबंधित दलील संख्या–3053 दिनांक 04.3.2003 द्वारा कय किया गया है। अपीलार्थी (छुटनी देवी) द्वारा आसन्नवर्ती रैयत के हैसियत से उक्त भूमि के हस्तांतरण के विरूद्ध बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा–16(3) के तहत अग्रकय आवेदन दाखिल किया गया था जिसे भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा एल0सी0 वाद सं0–05/2003–04 में दिनांक 04.3.2004 को निरस्त कर दिया गया है। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध दाखिल एल0सी0अपील सं0–04/2004 को अपर समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा दिनांक 04.7.2005 को अपील अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपील आदेश के विरूद्ध माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड रांची के न्यायालय के वाद संख्या–35/2005 दाखिल किया गया जिसे अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिप्रषित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के आलोक में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। उनके द्वारा माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, रांची के द्वारा पारित आदेश के आलोक में तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा दिनांक 12.9.03 एवं अपर समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा दिनांक 04.7.05 को सभी कागजात के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो	

Scanned with CamScanner

नियमानुकुल है। बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा–16(3) के तहत अग्रकय का लाभ हेतु प्रश्नगत भूमि के आसन्नवर्ती रैयत होना आवश्यक है। परंतु अपीलार्थी की भूमि प्रश्नगत दलील की चौहद्दी में किसी ओर नहीं है। उनके द्वारा दलील सं0–547 एवं 548 दिनांक 28.1.2003 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के आसन्नवर्ती रैयत होने का दावा किया जा रहा है। जबकि, प्रश्नगत भूमि के विकेता का कथन है कि उनके द्वारा उक्त दलील के द्वारा भूमि बिकी नहीं की गई है। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के अग्रकय हेतु एक अन्य आवेदिका श्रीमती मीरा देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के न्यायालय में एल0सी0वाद सं0 –08/2002–03 दाखिल किया गया था जिसमें उनके आवेदन को दिनांक 12.9.03 को स्वीकृत किया गया है। पुनः उसी भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अग्रकय का दावा किया जा रहा है। जबकि, श्रीमती नीरा देवी को पूर्व में ही अग्रकय के आवेदन को स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार एक ही मू–खण्ड के 02(दो) अग्रकय आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण उनके द्वारा दाखिल–खारिज हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी प्रश्नगत भूमि को विधिवत रूप से कय किया है तथा अपीलार्थी आसन्नवर्ती रैयत नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, बाघमारा से माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद,झारखण्ड रांची के द्वारा पारित आदेश के आलोक में निबंधित दलील संख्या–547 एवं 548 दिनांक 28.1.2003 तथा दलील सं0–1227 दिनांक 22.2.03 में निहित भूमि की दाखिल–खारिज की प्रकिया अनुसार गंगा हाड़ीन(विकेता) एवं अन्य को निर्गत सूचना की विधिवत् तामीला की जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गई है। साथ ही जिला अवर निबंधक, धनबाद से दलील सं0–547, 548 दिनांक 28.1.03 एवं 1227 दिनांक 22.2.03 का सत्यापित कराया गया।

जिला अवर निबंधक, धनबाद द्वारा दलील संख्या–547 एवं 548 दिनांक 28.1.2003 तथा दलील सं0–1227 दिनांक 22.2.03 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया गया है।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दलील सं–547 एवं 548 दिनांक 28.1.2003 तथा दलील सं0–1227 दिनांक 22.2.03 में निहित भूमि की दाखिल खारिज अभिलेख अनुसार गंगा हाडीन(विकेता) को विधिवत रूप से सूचना तामीला कराया गया है। साथ ही दाखिल–खारिज की प्रकिया नियमानुसार पूरी की गई है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्रीमती किरण देवी द्वारा आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण निबंधित दलील सं–1561 दिनांक 4.3.03 का दाखिल–खारिज नहीं किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। साथ ही अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखें। अभिलेख का अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, रांची के वाद संख्या–35/2005 में प्रश्नगत भूमि की जांच प्रतिवेदन की मांग उपायुक्त, धनबाद से की गई थी। उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक 1274 दिनांक 25.6.09 द्वारा प्रश्नगत भूमि की जांच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद से कराते हुए प्रतिवेदन माननीय राजस्व पर्षद, रांची के न्यायालय में भेजा गया था। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–बरवाडीह मौजा नं0–202 खाता सं0–13 प्लॉट नं0–453 कुल रकवा–47डी0 है। विपक्षी(गंगा हाड़ीन) के द्वारा उपरोक्त रकवा–47डी0 भूमि कय किया गया है। जबकि उनके द्वारा 67डी0 भूमि की बिकी की गई है। विपक्षी (गंगा हाड़ीन) द्वारा दलील संख्या–547 एवं 548 दिनांक 28.1.03 तथा 1227 दिनांक 22.2.03 द्वारा कुल–30डी0 भूमि अपीलाथी (श्रीमती छुटनी देवी) को विकय किया गया है। श्रीमती किरण देवी(विपक्षी सं0–2) द्वारा दलील संख्या–1561 दिनांक 4.3.03 के माध्यम से अन्य भूमि के साथ प्लॉट सं0–453 के रकवा–13डी0भूमि कय किया गया है। साथ ही श्रीमती गौरी देवी द्वारा दलील संख्या–1562 दिनांक 4.3.03 के माध्यम से प्लॉट सं0–453 रकवा–24डी0 भूमि कय किया गया है। इस प्रकार सभी दलील के द्वारा गंगा हाडीन(विपक्षी सं–1) द्वारा प्लॉट संख्या–453 के कुल रकवा–67डी0 भूमि विकय किया गया है। जबकि उनके द्वारा उक्त प्लॉट का कुल रकवा–47डी0 भूमि कय किया था। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ समर्पित नजरी नक्सा में प्रश्नगत भूमि के चौहद्दी में अंशिक रूप से छुटनी देवी(अपीलार्थी) अवस्थित है। सम्पूर्ण भूमि परती रहने के कारण दखल–कब्जा स्पष्ट नहीं

Scanned with CamScanner

है। जहां तक प्रश्नगत प्लॉट की भूमि के कुल रकवा–47डी0 से अधिक भूमि रकवा–67डी0 भूमि की बिक्री का प्रश्न है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत प्लॉट की भूमि पर दखल–कब्जा स्पष्ट नही है। इस प्रकार दलील के आधार पर प्रश्नगत भूमि के स्वमित्व का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है। भूमि के स्वत्व एवं अधिकार का निर्धारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत नही आता है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि परती एवं जांच प्रतिवेदन के नजरी नक्सा अनुसार अपीलार्थी असन्नवर्ती रैयत है।

अतः उपरोक्त के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/01/21

समाहर्त्ता, धनबाद।

15/01/21

समाहर्त्ता, धनबाद।

Scanned with CamScanner